परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 31 जनवरी, 1977 को 11-00 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1977 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1) श्री बी0एन0खन्ना		अध्यक्ष
2) श्री बी0एन0वर्मा	आवास आयुक्त	सदस्य
3) श्री आर0आर0शाह	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
4) श्री सत्तार अहमद		सदस्य
5) श्री अरविन्द वर्मा	विशेष सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6) श्री बी0एन0जोशी	उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग (स्वायत्त शासन सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य

कार्य आरम्भ करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सभी उपस्थित सदस्यगणों को उन परिस्थितियों से अवगत कराया जिनके कारण यह बैठक पिछली बैठक से 60 दिन के अन्दर नहीं रखी जा सकी ।

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

क्र0 सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद् की दिनांक 1 नवम्बर, 1976 को हुई वर्ष 1976 की पाँचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	1/(1)/77	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 1 नवम्बर, 1976 को हुयी वर्ष 1976 की पाँचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
2)	परिषद् की वर्ष 1976 की पाँचवीं बैठक दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	1/(2)/77	परिषद् ने वर्ष 1976 की पाँचवीं बैठक दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
3)	परिषद् में मानचित्रक के पदनाम एवं वेतनमान में परिवर्तन तथा मुख्य मानचित्रकारों को सिलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में ।	1/(3)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से मानचित्रक के पदनाम एवं वेतन में परिवर्तन तथा मुख्य मानचित्रकारों को सिलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में परिषद् द्वारा गठित उप-समिति की संस्तुतियों का अवलोकन तथा अनुमोदन किया ।
4)	परिषद् में सहकारिता निरीक्षकों का पदनाम परिवर्तित करके 'सहकारी अधिकारी 'आवास' करने के संबंध में ।	1/(4)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से सहकारिता निरीक्षकों का पदनाम परिवर्तित करके 'सहकारी अधिकारी 'आवास' किये जाने की स्वीकृति दी ।
5)	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फण्ड रेगुलेशंस 1973' के रेगुलेशन 39 में संशोधन का प्रस्ताव ।	1/(5)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से 'उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फण्ड रेगुलेशंस, 1973' के रेगुलेशन 39 में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की :

विनियम का वर्तमान प्राविधान	प्रस्ताव के अनुसार संशोधित प्राविधान
39.... the competent authority may direct the deductions therefrom and payment to the Board of-	39.... the competent authority or such other authority, not below the rank of appointing authority, as may be nominated in this regard by the competent authority may direct the deduction therefrom and paymant to the Board of--

1	2	3	4
6)	सहायक आर्कीटेक्ट के पदों पर नियुक्ति के संबंध में।	1/(6)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से सहायक आर्कीटेक्ट के पदों पर नियुक्ति के संबंध में परिषद द्वारा गठित उप-समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन किया । परिषद ने अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य सेवा शर्तों संबंधी विनियमों के चैप्टर-II के पैरा-5 में उल्लिखित शिड्यूल में टिप्पणी के संलग्नक 'क' द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया और सर्वसम्मति से निम्नलिखित संशोधन के साथ उसकी स्वीकृति प्रदान की:- I(ओ)(II) में स्तम्भ (2) इस प्रकार भर दिया गया है : (1) For posts carrying pay scales whose maximum is above Rs.1450/- -- Board. (2) For posts carrying pay scales whose maximum does not exceed Rs.1450/- Housing Commissioner. परिषद ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि जिन सेवाओं के सेवा नियम नहीं बने है उनमें जिन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त घोषित किये जा रहे है उन पर चयन हेतु चयन समिति का गठन आवास आयुक्त कर लिया करेंगे तथा उन पदों पर चयन हेतु जिनका नियुक्ति प्राधिकारी परिषद है चयन समिति का गठन आवास आयुक्त करके चयन समिति की संस्तुतियों को परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।
7)	आगरा की कमलानगर आवास योजना के अन्तर्गत डाक्टर्स सहकारी गृह निर्माण समिति को विकसित भूखण्ड के आवंटन के संबंध में विचार।	1/(7)/77	परिषद ने आगरा के कमला नगर आवास योजना के अन्तर्गत डाक्टर्स सहकारी गृह निर्माण समिति को विकसित भूखण्ड के आवंटन के संबंध में टिप्पणी पर विचार किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि समिति के केवल निम्न व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित कर दिये जायें। शेष भूखण्डों को अन्य पंजीकृत व्यक्तियों में नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जाय। 1- डा० रमेश नारायण गुप्ता की दोनों पत्नियों में से एक (जिसको समिति भूखण्ड आवंटित करना चाहे)। 2- डा० गिरीश नारायण गुप्ता 3- डा० राजेन्द्र नारायण गुप्ता 4- डा० श्रीमती उषा चौहान।
8)	कस्तौली गाजीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद रोड, लखनऊ के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त भवनों के स्वामियों से विकास व्यय न लेने का मामला।	1/(8)/77	परिषद ने कस्तौली गाजीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद रोड, लखनऊ के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त भवनों के स्वामियों से विकास व्यय लिये जाने पर विचार फिलहाल स्थगित कर दिया।

(5)

1	2	3	4
9)	आगरा तथा मथुरा रोड के बीच गृहस्थान योजना सं0-9, अलीगढ़ (क्षेत्रफल 29-94 एकड़) अनुमानित लागत 25-345 लाख ।	1/(9)/77	परिषद् ने आगरा तथा मथुरा रोड के बीच गृहस्थान योजना, संख्या-9, अलीगढ़ (क्षेत्रफल 29-94 एकड़- अनुमानित लागत 25-345 लाख लागत) के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय का अवलोकन किया तथा उसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की ।
10)	नईगंज गृहस्थान योजना, जौनपुर (क्षेत्रफल 10 हेक्टर (25 एकड़) अनुमानित लागत 15-50 लाख ।	1/(10)/77	परिषद् ने नई गंज गृहस्थान योजना, जौनपुर (क्षेत्रफल 10 हेक्टर (25 एकड़)- अनुमानित लागत (5-50) लाख के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय का अवलोकन किया तथा उसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की ।
11)	दौहरीघाट रोड गृहस्थान योजना, आज़मगढ़ (क्षेत्रफल 20 एकड़) अनुमानित लागत 12-87 लाख ।	1/(11)/77	परिषद् ने दौहरीघाट रोड गृहस्थान योजना, आज़मगढ़ (क्षेत्रफल 20 एकड़) अनुमानित लागत 12-87 लाख) के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय का अवलोकन किया तथा उसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की ।
12)	डांडा हाउस (अपर) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, नैनीताल के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि ।	1/(12)/77	परिषद् ने डांडा हाउस (अपर) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, नैनीताल के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय का अवलोकन किया तथा उसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की ।
13)	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधीनस्थ (संगणक व ड्राइंग स्टाफ) सेवा विनियमावली, 1977	1/(13)/77	परिषद् ने उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् अधीनस्थ (संगणक एवं ड्राइंग स्टाफ) सेवा विनियमावली, 1977 तथा उसके साथ प्रस्तुत संशोधनों पर विचार किया और सर्वसम्मति से इस निर्देश के साथ उसको स्वीकृति प्रदान की कि नागरिकता के संबंध में विनियम 7 में, यदि आवश्यकता हो तो शासन द्वारा जारी किये गये वर्तमान आदेशों के अनुसार संशोधन कर लिया जाए ।
14)	आडिट-कम-कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर तथा फाइनेंस आफिसर के पदों पर नियुक्ति ।	1/(14)/77	परिषद् ने आडिट-कम-कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर तथा फाइनेंस आफिसर के पदों पर नियुक्ति के संबंध में टिप्पणी के साथ प्रस्तुत चयन समिति की संस्तुतियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।
15)	उ0प्र0सहकारी आवास संघ लि0, को रु0 25 लाख का अल्पकालीन ऋण ।	1/(15)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से उ0प्र0सहकारी आवास संघ लि0 को रु0 25 लाख का अल्पकालीन ऋण दिये जाने का अनुमोदन किया ।
16)	सीड कैपिटल के रूप में परिषद् को उत्तर प्रदेश शासन से रु0 1-00 करोड़ ऋण की प्राप्ति ।	1/(16)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से शासन से सीड कैपिटल हेतु रुपया एक करोड़ का ऋण प्राप्त करने हेतु कार्यवाही का अनुमोदन किया ।
17)	(कम्पोज़िट) हाउसिंग प्रोजेक्ट (63 भवन) मेंहदौरी गृहस्थान योजना, इलाहाबाद के लिए हडको से रु0 6-90 लाख का ऋण ।	1/(17)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से (कम्पोज़िट) हाउसिंग प्रोजेक्ट (63 भवन) मेंहदौरी गृहस्थान योजना इलाहाबाद की प्रशासनिक स्वीकृति रु0 9-196 लाख के लिये प्रदान की और इसके लिये हडको से रुपया 6-90 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारंटी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की । साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद् की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगायी जाए ।

क्र0प0030

1	2	3	4
18)	चौथा ई0डब्लू0एस0 हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमलानगर योजना, आगरा, के लिये हडको से रू0 14-00 लाख का ऋण।	1/(18)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से चौथा ई0डब्लू0एस0 हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमलानगर योजना, आगरा की प्रशासनिक स्वीकृति रू0 20-683 लाख के लिये प्रदान की और इस के लिये हडको से रू0 14-00 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट "क" में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारंटी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगायी जाये।
19)	कम्पोजिट कमलानगर हाउसिंग स्कीम, आगरा के लिये हडको से रू0 25-25 लाख का ऋण।	1/(19)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से कम्पोजिट कमलानगर हाउसिंग स्कीम, आगरा की प्रशासनिक स्वीकृति रू0 40-097 लाख के लिये प्रदान की और इसके लिये हडको से रू0 25-25 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारन्टी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगायी जाय।
20)	(कम्पोजिट)हाउसिंग प्रोजेक्ट (300 भवन) भेलूपुर भूमि विकास योजना, वाराणसी, के लिये हडको से रू0 30-89 लाख का ऋण।	1/(20)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से (कम्पोजिट)हाउसिंग प्रोजेक्ट (300 भवन) भेलूपुर भूमि विकास योजना, वाराणसी की प्रशासनिक स्वीकृति रू0 40-074 लाख के लिये प्रदान की और इसके लिये हडको से रू0 30-89 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारंटी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगायी जाय।
21)	कम्पोजिट प्रोजेक्ट इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के लिये हडको से रू0 131-65 लाख का ऋण।	1/(21)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से कम्पोजिट प्रोजेक्ट इन्दिरानगर योजना, लखनऊ की प्रशासनिक स्वीकृति रू0 173-748 लाख के लिये प्रदान की और इसके लिये हडको से रू0 131-65 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारंटी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगायी जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
22)	कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट (477 भवन) [illegible] भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद के लिये हडको से रु0 4490 लाख का ऋण।	1/(22)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट (477 भवन) [illegible] भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद की प्रशासनिक स्वीकृति रु0 57-65 लाख के लिये प्रदान की और इसके लिए हडको से रु0 44-90 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारंटी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगायी जावे।
23)	कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट शाहपुर भूमि विकास योजना नं0-2 एवं 3, गोरखपुर के लिये हडको से रु0 24-25 लाख का ऋण।	1/(23)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट शाहपुर भूमि विकास योजना नं0-2, एवं 3, गोरखपुर की प्रशासनिक स्वीकृति रु0 29-604 लाख के लिये प्रदान की और इसके लिये हडको से रु0 24-25 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारंटी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगायी जावे।
24)	चौथी ई0डब्लू0एस0हाउसिंग स्कीम नं0-3, मेरठ के लिये हडको से रु0 23-45 लाख का ऋण।	1/(24)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से चौथी ई0डब्लू0एस0 हाउसिंग स्कीम नं0-3, मेरठ की प्रशासनिक स्वीकृति रु0 26-916 लाख के लिये प्रदान की और इसके लिये हडको से रु0 23-45 लाख का ऋण टिप्पणी के परिशिष्ट (क) में निर्धारित शर्तों पर लिये जाने का अनुमोदन किया तथा राज्य सरकार से हडको को काउन्टर गारन्टी दिये जाने हेतु सहमति भी प्रदान की। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में ऋण अनुबन्ध पर परिषद की मोहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगाई जावे।
25)	परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं में प्रशासनिक व्यय 10% करने हेतु।	1/(25)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं में प्रशासनिक व्यय के संबंध में विचार स्थगित किया और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि परिषद के समक्ष इस मामले को पुनः रखने के पूर्व अन्य आवास परिषदों से प्रशासनिक व्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जावे और इस पर भी विचार कर लिया जावे कि प्रशासनिक व्यय का अनुपात किस प्रकार का किया जा सकता है।
26)	सीतापुर रेलवे ~~के~~ स्टेशन केन्ट के करीब भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर की धारा 31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन।	1/(26)/77	परिषद ने सर्वसम्मति से सीतापुर रेलवे स्टेशन, केन्ट के करीब भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर की धारा 31(2) के अधीन अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।

1	2	3	4
27)	परिषद् में एक सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-एण्ड-पब्लिक रिलेशन्स) के पद का सृजन ।	1/(27)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् में सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-एण्ड-पब्लिक रिलेशन्स) के पद को आशुलिपिक तथा चपरासी के पदों के साथ 31-3-77 के उपरान्त चलाने की स्वीकृति प्रदान की ।
28)	मकान किराया भत्ता विषयक शासन के पत्र संख्या जी-1-881/दस-174/210/74 दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के संबंध में ।	1/(28)/77	परिषद् ने मकान किराया भत्ता विषयक परिषद् द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता की वापिसी वसूल ही कष्टप्रद होगी, यह निर्णय लिया कि शासन से अनुरोध किया जाये कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके द्वारा आहरित किये गये मकान किराये भत्ते को वसूल न कराया जाय ।
29)	मेरठ बाई पास मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, हापुड़ क्षेत्रफल 55-22 एकड़ (22-347 हेक्टर) अनुमानित लागत रु0 64-22 लाख ।	1/(29)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से मेरठ मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, हापुड़ के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय का अवलोकन किया और सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन किया ।
30)	परिषद् की रामतीर्थ हिल्टन लेन योजना के विस्थापित व्यक्तियों का किसी अन्य योजना में पंजीकरण एवं आवंटन के संबंध में ।	1/(30)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् की रामतीर्थ हिल्टन लेन योजना के विस्थापित व्यक्तियों का किसी अन्य योजना में पंजीकरण एवं आवंटन के संबंध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार फिलहाल स्थगित कर दिया ।
31)	इन्दिरा नगर कालोनी (निरंजनपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना) देहरादून में बिन्दाल नदी पर कलवर्ट का निर्माण ।	1/(31)/77	परिषद् ने इन्दिरा नगर कालोनी (निरंजनपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना) देहरादून में बिन्दाल नदी पर कलवर्ट के निर्माण के संबंध में आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से आवास आयुक्त को अधिकृत किया ।
32)	उ0प्र0सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ को रु0 25-00 लाख का दूसरा अल्पकालीन ऋण दिये जाने के संबंध में ।	1/(32)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से उ0प्र0सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ को रुपया 25 लाख का दूसरा अल्पकालीन ऋण दिये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की कि इस पर देय ब्याज 9% की दर से लिया जाय ।
33)	परिषद् के अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं के सेवा विनियम ।	1/(33)/77	परिषद् ने सर्वसम्मति से अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं के सेवा विनियमों का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया कि अधीक्षण अभियन्ताओं का नियुक्ति प्राधिकारी परिषद् होगा । यह भी निर्णय लिया कि इसी के अनुसार चयन समितियों में भी आवास आयुक्त द्वारा आवश्यक संशोधन कर लिया जाय ।

1	2	3	4
34)	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।	1/(34)/77	अध्यक्ष महोदय ने बैठक में परिषद् द्वारा किये गये कार्यकलापों के संबंध में भी चर्चा की। विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निश्चित हुआ कि परिषद् की प्रत्येक बैठक में कार्यों की समीक्षा होनी चाहिये और इस हेतु एजेन्डा निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जानी चाहिये जिससे परिषद् को परिषद् के कार्यकलापों की पूरी जानकारी हो :- 1) प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रोफार्मा संशोधित करके "प्रोग्रेस ओरियन्टेड" बनाया जाय और तदनुसार ही प्रोग्रेस रिपोर्ट परिषद् के सामने रखी जाय। 2) बोर्ड की पिछली बैठक में जो योजनायें स्वीकृत की गयी थी उन पर आगे क्या प्रगति हुई यह भी परिषद् को अगली मीटिंग में रखा जाय। 3) योजना बनाने के पहले नगर की डिमाण्ड सर्वे की जाय और उसी के अनुसार योजना में प्राविधान किया जाय। साथ ही पंजीकरण का कार्य लगातार चालू रहे जिससे योजना प्रारम्भ करते समय जनता की मांग उपलब्ध रहे।

==========